

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 6632
(शुक्रवार, 06 अप्रैल, 2018/16 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)
सीएसआर की विशेषताएं

6632. श्री रामसिंह राठवा:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कारपोरेट/कंपनियों के लिए निधियों के आबंटन हेतु कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इन पर क्या दिशानिर्देश विहित किए गए हैं; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा कितनी राशि संवितरित की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री
(जेटली)

(श्री अरुण

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।
